न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 244 / 2017 एल.आर. एक्ट

हडमान पुत्र श्री हीराराम जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चुरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर पुत्र मूलाराम जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. सीताराम पुत्र हीराराम जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. दलीप पुत्र हडमान जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. विनोद पुत्र हडमान जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
5. संजू पुत्र हडमान जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
6. सुरेन्द्र पुत्र हडमान जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
7. प्रताप पुत्र हडमान जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
8. मनोज पुत्र सीताराम जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
9. पुरूषोतम पुत्र सीताराम जाति ढोली निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः

1. श्री मूलचंद आचार्य – अभिभाषक अपीलांट
2. श्री तनवीर अली – रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री पवन कुमार स्वामी – रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9
4. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12–03–2018**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी तारानगर के निर्णय दिनांक 25–08–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नं. 935 तादादी 11 बीधा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1011 तादादी 3 बीधा कुल तादादी 14 बीधा 2 बिस्वा वाके रोही सात्यु तहसील तारानगर में स्थित है, जिसमे अपीलांट अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है तथा मौके पर अपीलांट के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पेड लगाये हुए है तथा फसल कटाई कर चारा नीरा पुले व अनाज इत्यादि पडा है तथा मौके पर अपीलांटन की तारबंदी कर बाड की हुई है तथा उक्त रकबा के अपीलांट ही एक मात्र काबिज काश्तकार एवं खातेदारान है। अपीलांट के खेत के पूर्वी व दक्षिणी दिशा मे पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो रिश्तेदार व खेत पड़ौसी है जिसने अपीलांट को पार्टी बनाये बगैर व अपीलांट को बिना सूचना दिये तहसील कार्यालय से एकतरफा अपने खेत का सीमा ज्ञान दिनांक 25.3.17 को करवाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111 व धारा 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी तारानगर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थर गढी करवाने के आदेश दिये। जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कहा कि अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नं. 935 तादादी 11 बीधा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1011 तादादी 3 बीधा कुल तादादी 14 बीधा 2 बिस्वा वाके रोही सात्यु तहसील तारानगर में स्थित है, जिसमे अपीलांट अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है तथा मौके पर अपीलांट के पेड लगाये हुए है तथा फसल कटाई कर चारा नीरा पुले व अनाज इत्यादि पडा है तथा मौके पर अपीलांटन की तारबंदी कर बाड की हुई है तथा उक्त रकबा के अपीलांट ही एक मात्र काबिज काश्तकार एवं खातेदारान है। अपीलांट के खेत के पूर्वी व दक्षिणी दिशा मे पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो रिश्तेदार व खेत पड़ौसी है जिसकी नियत हमेशा से अपीलांट की काबिज काश्त खातेदारी भूमि पर बुरी नजर रही है। जिसने अपीलांट को पार्टी बनाये बगैर व अपीलांट को बिना सूचना दिये तहसील कार्यालय से एकतरफा अपने खेत का सीमा ज्ञान दिनांक 25.3.17 को करवाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111 व धारा 128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कार्यवाही आनन फानन में पूर्ण कर अपीलांट जो खेत पड़ौसी है उनको बिना कोई सूचना दिये, बिना कोई साक्ष्य सबूत लिये, इकतरफा आदेश पारित किया हे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का द्वारा मौका पर खेत पड़ौसियो व अपीलांट को सूचना दिये बगैर एवं मौका पर जाये बगैर जो पर्चा मौका

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निशान देही दिनांक 25.3.17 को तैयार की जिसके संबध मे हल्का पटवारी या किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा कोई तथ्यात्मक रिर्पोट नही बनाई गई हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जिस प्रार्थना पत्र पर दिया उक्त प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा शपथ पत्र दिनांक 1.6.17 को प्रस्तुत किया गया तथा आगामी तारीख 2.7.17 मुकर्रर की गई, किन्तु पत्रावली 2.7.17 को न्यायालय मे ना आकर 3.7.17 को आई तथा 3.7.17 को कार्य स्थगित होने के कारण पत्रावली 22.8.17 मुकर्रर की गई दिनांक 22.8.17 को अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली वास्ते बहस व आदेश दिनांक 25.8.17 मुकर्रर कर दी गई, जबकि अपीलांट को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की ना तो जानकारी हुई और ना ही न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त हुआ, यदि अपीलांट को नोटिस मिलता तो अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु न्यायालय मे अपनी ओर से पैरवी करता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जबरदस्ती अवैध रूप से अपीलांट की सीव व तारबंदी को तोडकर सीमाकन कर पट्टिया व तारबंदी लगाने व अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की फिराक मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111 का गलत इन्टरपीटेशन कर पारित किया गया है जबकि इस धारा के अंदर सीमा विवाद के प्रावधान है तथा सीमा विवाद के मामलो के सभी खेत पडोसीयो की सुनवाई कर पूर्ण जांच कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकरी अपीलांट को दिनांक 31.10.17 को हुई अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार करते हुवे अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.8.17 निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2017 पृष्ठ 289 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस कर कहा कि हमारी कृषि भूमि खं. नं. 936 तादादी 14 बीधा, ख. नं. 1010 तादादी 9 बीधा कुल तादादी 23.00 बीधा वाके रोही सात्यु तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 ने मिलकर मेरी कुछ कृषि भूमि पर कब्जा कर अपने खसरे में मिलाली, उक्त भूमि खाली करने के लिए कहा तो टालमटोल करते रहे। तब हमने सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार तारानगर को प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार तारानगर ने हल्का पटवारी व आस पास के अड़ोसी पड़ोसी की मोजूदगी मे पेमाईश का आदेश दिया है। में नोकरी के कारण गंगानगर मे रहता हु । मेने इनकी कृषि भूमि पर कब्जा नही

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया हे। अपनी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाया हे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 के निमित रजिस्ट्र्ड एडी से सम्मन तलब किये गये थे, लेकिन जानबूझकर वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही आये। हमने नियमानुसार फीस जमा करवाकर अपनी जमीन पर पत्थर गढी करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.8.17 सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट की बहस का समर्थन करते हेतु अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.8.17 निरस्त करने का निवेदन किया।
7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा उपखण्ड अधिकारी तारानगर द्वारा नियमानुसार फीस वसूल की जाकर पत्थर गढी कराये जाने का आदेश पारित किया गया जो उचित एवं न्याय संगत है। अतः अपील खारिज की जावे।
8. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार हैः–

   1. प्रकरण में मियाद अधिनियम की धारा 5 पर विचार किया जाता हैः–
      अपीलांट की ओर से धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है। न्यायालय के अनुसार मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाना चाहिए तथा मात्र तकनिकी अधार पर अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। विशेषकर जब प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ हो। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुवे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।
   2. अपील में मुख्य विवाद कृषि भूमि की पैमाईश पत्थरगढी करवाने का हैः–
      अपीलांट का कथन है कि उसे बिना कोई सूचना दिये एक तरफा कार्यवाही करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 के विरूद्व रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये। एक माह से अधिक समय निकल जाने के पश्चात भी इनके द्वारा उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी खातेदारी कृषि भूमि खं. नं. 936 तादादी 14.00 बीधा व खं. नं.

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1010 तादादी 9 बीधा, कुल तादादी 23.00 बीधा रोही सात्यू मे भू राजस्व कर्मचारियो की टीम गठित कर पत्थर गढी व पैमाईश के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके लिए वो कानूनन अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी तारानगर द्वारा उक्त भूमि की पैमाईश टीम गठित कर फसल कटाई के पश्चात नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से फीस वसूल की जाकर पत्थर गढी कराने के आदेश पारित किये गये। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर के निर्णय दिनांक 25.08.2017 को सारभूत व उचित मानते हुवे इसमे किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना समीचीन नही समझते है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है और उपखण्ड अधिकारी तारानगर के निर्णय दिनांक 25.08.2017 यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2018 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र सिह पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर